

समाचार-प्रकाशनार्थ :-

निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली टी.एल. बैठक

रतलाम 22 दिसम्बर । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के विभाग प्रमुखों की साप्ताहिक टी.एल. बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये ।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने सी.एम. हेल्प लाईन शिकायत निराकरण ग्रेडिंग में नगर निगम रतलाम नम्बर 1 आने पर सभी को बधाई प्रेषित कर कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में इसी तत्परता, लगन से कार्य कर रतलाम नगर को स्वच्छता में नम्बर 1 बनाये ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का 3 दिवस में निराकरण किये जाने के निर्देश के साथ ही टी.एल. शिकायतों की समीक्षा कर शिकायतों का निराकरण 7 दिवस में ऑन लाईन कराये जाने के निर्देश संबंधितों को दिये ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सी.एम. हेल्प लाईन की शिकायतों का निराकरण एल-1 स्तर पर ही किये जाने के निर्देश बैठक में दिये शिकायत उच्च स्तर पर दर्ज ना हो सकें । इसके अलावा विभिन्न आयोग, पी.एम., सी.एम. कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का समय पर निराकरण करवाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने संबंधित को निर्देशित किया ।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा करते हैं व डस्टबीन नहीं रखते हैं उन पर जुर्माना किये जाने साथ ही खुले में शौच व पेशाब करने, नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों पर जुर्माना किया जाये ।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, श्री भविष्य कुमार खोब्रागड़े, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, श्रीमती नीता जैन, प्र० कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, प्रभारी कर्मशाला व प्रकाश विभाग श्री एम०के० जैन, प्रभारी सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, प्रभारी जलप्रदाय विभाग श्री सत्यप्रकाश आचार्य, लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्रा, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, प्रभारी उद्यान विभाग श्री अरविन्द दशोत्तर, निगम सचिव श्री जसवंत जोशी, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी आयुषी पालीवाल, प्रभारी कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी, सिटी मैनेजर श्री कपिल मारोठिया, श्री नितिन तिवारी आदि उपस्थित थे ।

चालीस साल पुराना कचरा घर हटाते ही खुश हो गए रहवासी

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत कुम्हारी कुआं क्षेत्र के रहवासी

अब खुद रख रहे हैं कचरा फैकने वालों की निगरानी

रतलाम 22 दिसम्बर । स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत रतलाम को स्वच्छता की दोड़ में नम्बर-1 बनाए जाने के प्रयासों में तेजी आ रही है । हर दिन शहर में कई स्थानों को कचरा मुक्त किया जा रहा है । इन कचरा मुक्त स्थानों पर सफाई मित्र समूह के माध्यम से आकर्षक रांगोली का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है । निगम प्रशासन के इन्हीं प्रयासों

की कड़ी में शहर के कचरा मुक्त स्थानों पर रांगोली निर्माण का कार्य निरन्तर जारी है। इन्ही प्रयासों के चलते शहर के लकड़पीठा क्षेत्र से जुड़ा कुम्हारी कुंआ इलाका है। यहां पर विगत चालीस सालों से शहर के 9 वार्डों को कचरा हर दिन आता था, और देखते ही देखते यहां कचरे का पहाड़ सा बन गया था। निगम आयुक्त श्रीसोमनाथ झारिया के निर्देश पर इस क्षेत्र को कचरा स्थल से मुक्त किया गया तो क्षेत्र के सैकड़ों लोगों के चेहरे पर खुशी छा गई। अब इस क्षेत्र के रहवासी खुद लठैत बन कर कचरा फेकने वालों की निगरानी रख रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र से बीमारियों का एक बड़ा गढ़ साफ हो गया है।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लिए नगर पालिक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरूवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मित्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इस मौके पर रहवासियों और राहगियों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि मेरा योगदान, मेरी शान, स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डालें। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान मंगलवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोटोना का काटगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है.

ऐसे में हमे मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

गंदगी व मलबा फैलाने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

रत्नाम 22 दिसम्बर। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां—वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी व मलबा फैलाने पर मनीष जायसवाल सैलाना रोड पर 1000, कालू—भूरिया, सदगुरुकृपा मार्बल, बालाजी ऑटो पार्ट्स सैलाना रोड पर 500—500 अकरम भाई, बुरहानी हार्ड वेयर गीता मंदिर रोड, अवतार, कालू सिंह, सौदान पर 250—250 रुपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त 61 दिनों में 93 वॉल्व व 438 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रत्नाम 22 दिसम्बर। शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 22 दिसम्बर तक 93 वॉल्व व 438 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

‘रत्नाम जलशक्ति अभियान’ छाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 22 दिसम्बर मंगलवार को कस्तुरबा नगर में राजभोग रेस्टोरेंट, किंग कलेक्शन व श्री कृष्ण स्वीट्स के बाहर, तैलियों की सड़क व कलीमी कालोनी में पाईप लाईन लीकेज को दुरस्त करवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

नालों की सफाई का कार्य निरंतर जारी

रतलाम 22 दिसम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाढ़ व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा 22 दिसम्बर मंगलवार को मदिना मस्जिद, इंदिरा नगर व चमारिया नाका करमदी रोड बस स्टैण्ड वाले नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीन, डम्पर, व गैंग द्वारा प्रारंभ करवाया गया।

कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित 6 कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त कारण बताओ सूचना—पत्र जारी

रतलाम 22 दिसम्बर। नगर निगम के उद्यान, स्वास्थ्य व प्रकाश विभाग के ऐसे कर्मचारी जो कि बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित है ऐसे कर्मचारियों को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अनुपस्थित दिवसों का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना—पत्र जारी किया गया।

प्रकाश विभाग के स्थायीकर्मी अखिलेश निमावत जिनकी ड्यूटी बगैर मास्क वाले व्यक्तियों पर जुर्माना किये जाने हेतु लगाई गई थी किन्तु संबंधित द्वारा विगत 15 दिनों से सौंपे गये दायित्वों का पालन नहीं किये जाने पर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना—पत्र जारी किया गया।

इसी तरह उद्यान विभाग के माली अंसार—अकबर अली जो कि विगत 5 दिनों से बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने से अनुपस्थित दिवसों का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी किया गया।

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान सिविक सेंटर शौचालय पर अशोक—छोटेलाल स्थाई कर्मी, बिरियाखेड़ी शौचालय पर शिव—भानुलाल, मनोज—प्रभुलाल गैंगकर्मी व धीरज—रमेश 30 दिवस सफाई संरक्षक द्वारा उपस्थित नहीं पाये जाने पर सेवा से बर्खास्त किये जाने का सूचना पत्र जारी किया गया।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम 22 दिसम्बर। सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, रैन बसेरा सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण व शौच के लिये शौचालय के उपयोग की दी समझाईश

रतलाम 22 दिसम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक—पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवार्इन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक—पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक—पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालने की समझाईश दी। टीम आरथा के सदस्यों द्वारा नगर के खुले क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को शौच हेतु शौचालय के उपयोग की जानकारी दी।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें नागरिकों को दी स्वच्छता एप उपयोग की जानकारी

रतलाम 22 दिसम्बर। रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आरथा के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्स्टाल करें। इन्स्टाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी और उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 22 दिसम्बर। नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल—सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, दुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना

सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000—5000 हजार का जुर्माना करेगी।

शास्त्रीनगर में आज से लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर

बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

नागरिकों ने 48,87,854/- संपत्तिकर व 16,97,450/- जलकर जमा कराया
संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 22 दिसम्बर । शासन निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी, उद्योग-धन्दे में गिरावट, सर्विस सेक्टर आदि में शिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों, उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 दिसम्बर 2020 तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया राशि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 26 अक्टूबर से आयोजित किये गये हैं जो 30 दिसम्बर तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते हैं।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,224/- व जलकर 43,460/-, मालवा नगर शिविर में संपत्तिकर 3,66,429/- व जलकर 43,830/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 2,69,336/- व जलकर 41,850/-, विनोबा नगर पानी की टंकी के पास शिविर में संपत्तिकर 3,94,652/- व जलकर 1,06,050/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास शिविर में संपत्तिकर 4,54,616/- व जलकर 84,000/-, तिरुपति नगर में शिविर में संपत्तिकर 55,700/- व जलकर 14,800/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 65,133/- व जलकर 18,430/-, इन्द्रलोक नगर शिविर में संपत्तिकर 1,04,310/- व जलकर 37,520/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,63,070/- व जलकर 41,200/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 54,244/- व जलकर 31,700/-, डॉगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,87,800/- व जलकर 13,500/-, हाट रोड माताजी मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 89,439/- व जलकर 29,500/-, डॉ मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,23,843/- व जलकर 80,000/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 78,232/- व जलकर 24,800/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 95,424/- व जलकर 46,350/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 2,61,000/- व जलकर 45,500/-, लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 2,58,000/- व जलकर 90,310/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,39,000/- व जलकर 1,58,845/-, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 94,633/- व जलकर 24,500/-, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,31,093/- व जलकर 68,580/-, महावीर नगर शिविर में जलकर 45,550/-, पैलेस रोड शिविर में संपत्तिकर 5,91,492/- व जलकर 1,31,930/-, चौगानिया भेरू मंदिर शिविर में संपत्तिकर

1,71,109/- व जलकर 1,26,280/-, सायर चबुतरा शिक्षा विभाग के पास आयोजित शिविर में संपत्तिकर 1,55,000/- व जलकर 1,24,290/-, चौमुखी पुल शिविर में संपत्तिकर 2,65,000/- व जलकर 2,31,675 की एक मुश्त बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 48,87,854/- संपत्तिकर व 16,97,450/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के तहत वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को शास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेशन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि शासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुश्त राशि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार शिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे शिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुश्त राशि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते हैं।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राशि रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 10,000/- (दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, जलकर तथा अधिभार की राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार) से 50,000/- (पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकर, जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राशि वार्डवार आयोजित बकाया शिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

स्वच्छं विचरण करने वाले 456 मवेशियों को पकड़कर गैशालाओं में भेजा

रतलाम 22 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ—स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 22 दिसम्बर तक 456 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया ।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 22 दिसम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 456 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया । अभियान के तहत 22 दिसम्बर मंगलवार को 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये ।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है । शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी ।

नगर निगम एकट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है । निगम एकट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई ।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/22.12.2020/न.पा.निगम, रतलाम.